फाइल नं0-71-1001(009)/1/2022

136/2023/I/402268/2023

प्रेषक,

राम यज्ञ मिश्र,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक 06 अक्टूँबर, 2023

विषय:-अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अधिकारों के प्रतिनिधायन के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि चिकित्सा शिक्षकों को अनापत्ति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/71841/71-2099/581/2021, दिनांक 17.06.2021 के प्रस्तर-3 में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है:-

''चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन किसी भी संस्था में नव नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को उनके योगदान की तिथि से 02 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व किसी अन्य संस्था में आवेदन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र(NOC) निर्गत न की जाये। यह भी स्प्ष्ट किया जाता है कि यदि निर्धारित समयावधि (02 वर्ष) के पश्चात NOC निर्गत किये जाने की स्थिति बनती है, तो NOC निर्गत किये जाने की स्थिति बनती है, तो NOC निर्गत किये जाने हेतु सक्षम स्तर का अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए।''

2- उक्त के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन एक मेडिकल कालेज से दूसरे मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में आवेदन करने हेतु शासन स्तर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रकरण व्यवहरित किये जाने की प्रक्रिया समय साध्य है। कतिपय अवसरों पर आवेदन किये जाने/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अवधि व्यतीत हो जाती है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त अन्य मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में आवेदन करने/साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि संबंधित चिकित्सा शिक्षक के अन्य मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में अंतिम रूप से चयन होने फलस्वरूप उन्हें कार्यमुक्त किये जाने का प्रस्ताव शासन को संदर्भित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राम यज्ञ मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या- उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
2. निदेशक,हृदय रोग संस्थान, कानपुर/ जे0के मेडिकल संस्थान, कानपुर।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।